



2012: CGHC :8709-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 739 /2008

रोहित कुमार

बनाम

छ.ग.शासन्

निर्णय



विचारार्थ

सही/

न्यायाधीश

23/11/20012

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

निर्णय के लिए दिनांक 23/11/2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश



2012: CGHC :8709-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 739 /2008

अपीलार्थी

रोहित कुमार, पिता मत्तूलाल
सतनामी, उम्र लगभग 25 वर्ष,
निवासी हथादान्दू, थाना नवागढ़,
जिला दूर्ग (छ.ग.)



बनाम

छत्तीसगढ़ शासन

प्रत्यर्थी

उपस्थित : श्री उत्तम पान्डे और श्री टी.एन. दूबे अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी पेनल अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

निर्णय

(दिनांक 23 नवंबर 2012 को दिया गया)

राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश के अनुसार :

यह अपील दिनांक 27-6-2008 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 89/2006 में पारित निर्णय के विरुद्ध है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी रोहित



कुमार को निम्नलिखित तरीके से दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया, साथ ही यह निर्देश दिया गया कि सभी सजाएँ साथ - साथ चलेंगी:

दोषसिद्धि

दंडादेश

धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन

आजीवन कारावास और 500/- रुपये का अर्थदंड; अर्थदंड की राशि न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास।

धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अधीन

3 वर्ष का सश्रम कारावास और 100/- रुपये का अर्थदंड; अर्थदंड की राशि न देने पर 1 सप्ताह का सश्रम कारावास।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है:

मृतका गोंदाबाई अपीलार्थी की पत्नी थी। दिनांक 16-11-2005 को, अपीलार्थी ने पुलिस थाना, नवागढ़ में सूचना दी कि मृतका पानी निकालने के लिए कुएं पर गई थी, वह कुएं में गिर गई और मर गई। मर्ग सूचना (प्र.पी-8) दर्ज की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-11) भी पुलिस थाना नवागढ़ में पंजीकृत की गई। मृतका का शव कुएं से बाहर निकाला गया। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्र.पी-5) दिया और मृतका के शव का पंचनामा (प्र.पी-6) तैयार किया। शव को शव-परीक्षण के लिए प्र.पी-13 के माध्यम से भेजा गया। डॉ. एच.एन. गुप्ता (अ.सा.-3) और डॉ. संजय कुमार (अ.सा.-11) ने शव-परीक्षण किया और अपनी प्रतिवेदन (प्र.पी-3) दी। उन्होंने पाया-

- (i) दायीं ओर बाहरी थायरॉयड पर खरोंच $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ सेमी,
- (ii) बायीं जबड़े की हड्डी के नीचे $1 \times \frac{1}{2}$ सेमी का खरोंच,
- (iii) बायीं मास्टॉयड क्षेत्र पर $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ सेमी का खरोंच,
- (iv) गर्दन के पीछे की ओर 3 सेमी रैखिक घर्षण, संख्या में 3 खरोंच और



(v) छाती के दायीं ओर निप्पल से 3 सेमी नीचे 5X3 सेमी का घर्षण तथा रक्त का थक्का मौजूद था।

उन्होंने राय दी कि मृतका की मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

आगे के अन्वेषण में, पटवारी परमेश्वर प्रसाद पाठक (अ.सा.-1) द्वारा मौका नक्शा(प्र.पी-1) तैयार किया गया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार एच.एल. गायकवाड़ (अ.सा.-16) द्वारा भरत (अ.सा.-12) का कथन (प्र.पी-10) दर्ज किया गया। अपीलार्थी को प्र.पी-12 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। तहसीलदार एच.एल. गायकवाड़ (अ.सा.-16) ने मौका नक्शा(प्र.पी-14) भी तैयार किया।

अन्वेषण पूरा होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा के न्यायालय में दायर किया गया, जिसने बदले में, मामले को सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपार्पित कर दिया, जहाँ से अंतरण पर इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा अंतरण पर प्राप्त किया गया, जिन्होंने विचारण किया और उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को दोषी ठहराया तथा दंडित किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम पांडेय और श्री टी.एन. दुबे ने तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष युक्तियुक्त नहीं है। अपीलार्थी मृतका की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतका की मृत्यु प्रकृति में मानववध की थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य निश्चयक प्रकृति के नहीं हैं। यह सुस्थापित विधि है कि प्रबल संदेह प्रमाण का विकल्प नहीं है, इसलिए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष से धारणीय नहीं है और अपीलार्थी बरी किए जाने योग्य है।

4.. राज्य/प्रतिवादी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री राजेंद्र त्रिपाठी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं रखती है।



- 5.. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और सत्र प्रकरण क्रमांक 89/2006 के अभिलेख का भी अवलोकन किया है। निर्विवाद रूप से, घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।
- 6.. यह विधि का सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, अभियोजन को सभी अभियोगात्मक परिस्थितियों को विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य द्वारा स्थापित करना होगा और जिन परिस्थितियों से दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्ण रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। यह भी सुस्थापित है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता और न्यायालय को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।
7. जगरूप सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 2012 एससी 2600 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

“13. शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 एससी 1622 में, एक तीन-न्यायाधीश की पीठ ने पाँच स्वर्णिम सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले के संबंध में 'पंचशील' का गठन करते हैं। **शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1973 एससी 2622 : (1973) 2 एससीसी 793** के निर्णय का हवाला देते हुए, यह मत व्यक्त किया गया कि यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अपराधी होना चाहिए न कि केवल हो सकता है, और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी लंबी है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है। इसके बाद, पीठ ने यह निर्धारित किया कि इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, वे अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं होने चाहिए; परिस्थितियाँ निश्चयात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए; उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए; और साक्ष्य की एक ऐसी शृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी उचित आधार के लिए कोई स्थान न छोड़े और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।



14. **पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, 1989 सप्ली (2) एससीसी 706** में, इस न्यायालय ने माना कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो निम्नलिखित परीक्षणों को संतुष्ट किया जाना चाहिए: (एससीसी पृ. 710-11, पैरा 10)

“(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाना है, वे सशक्त और दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए;

(2) उन परिस्थितियों की एक निश्चित प्रवृत्ति होनी चाहिए जो अचूक रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करती हो;

(3) परिस्थितियाँ, सामूहिक रूप से ली जाएँ, तो एक ऐसी शृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई उपाय न हो कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं; और

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के स्पष्टीकरण में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत भी होना चाहिए।”

इसी प्रकार का दृष्टिकोण रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 10 एससीसी 172 में भी दोहराया गया है।

15. **बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1996 एससी 607** में, यह निर्धारित किया गया है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए और वे परिस्थितियाँ अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए निश्चयक प्रकृति की होनी चाहिए। घटनाओं की शृंखला की सभी कड़ियाँ युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित की जानी चाहिए और स्थापित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ पूर्णतः असंगत होनी चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, न्यायालय को संदेह को विधिक प्रमाण का स्थान लेने देने के खतरे से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए और भावनात्मक विचारों से प्रभावित होकर उन्हें प्रमाण का स्थान लेने देने के खतरे से बचने के लिए सचेत रहना चाहिए, चाहे वे कितने भी प्रबल क्यों न हों।

16. **हरिश्चंद्र लड़कू ठांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2007 एससी 2957** में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निकाले जाने वाले अनुमानों की वैधता से निपटते हुए, इस बात पर



बल दिया गया है कि जहाँ कोई मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, वहाँ अपराध का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी अभियोगात्मक तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाती हैं और साथ ही जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के संबंध में अनुमान लगाया जाता है, उन्हें युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया जाना होता है और उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य से निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना होता है।

17. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, एआईआर 1992 एससीडब्ल्यू 640** में, इस बात पर बल दिया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सावधानी बरतना न्यायालय का कर्तव्य है। यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य युक्तियुक्त रूप से दो अनुमानों में सक्षम है, तो अभियुक्त के पक्ष वाले अनुमान को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, उन्हें स्थापित किया जाना चाहिए और स्थापित तथ्यों का संचयी प्रभाव एक अद्वितीय परिकल्पना की ओर ले जाना चाहिए कि अभियुक्त दोषी है।

18. **राम सिंह बनाम सोनिया एवं अन्य, एआईआर 2007 एससी 1218** में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने न्यायालय द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में सिद्धांतों को दोहराया। इसमें कहा गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अधिकांशतः निर्भर मामले में, यह खतरा हमेशा बना रहता है कि अनुमान या संदेह विधिक प्रमाण का स्थान ले सकते हैं। न्यायालय को स्वयं को यह संतुष्ट करना होगा कि घटनाओं की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित की गई हैं और इस प्रकार की पूर्ण घटनाओं की श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता की उचित संभावना को समाप्त कर दे। यह भी संकेत दिया गया है कि जब महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाती है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला भंग हो जाती है और अन्य परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार से, अभियुक्त के अपराध को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे स्थापित नहीं कर सकती हैं।

19. **उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2007) 13 एससीसी 90** में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित उपर्युक्त सिद्धांतों का हवाला देने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि फिर भी इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि श्रृंखला पूर्ण है या नहीं, यह साक्ष्य



से उत्पन्न प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और कभी भी किसी सार्वभौमिक मानदंड का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।”

8. यह विवादित नहीं है कि मृतका गोंदाबाई अपीलार्थी की पत्नी थी।
9. निम्मोराज (अ.सा.-4) ने गवाही दी कि दिनांक 16-11-2005 को, लगभग 6:00 बजे शाम, धान ले जाने और उतारने के बाद, उसने अपना ट्रैक्टर कोठार (अन्न भंडार) में खड़ा किया और वहाँ एक चारपाई पर सो गया। कुछ समय बाद, उसने पानी में पत्थर फेंकने जैसी आवाज सुनी। जब उसने देखने की कोशिश की, तो अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। 1-2 मिनट बाद, पन्नालाल चिल्लाया कि चाची कुएं में गिर गई। उसने आगे गवाही दी कि उसने मृतका गोंदाबाई की कोई चीख या शोर नहीं सुना, जबकि उसने कुएं में कुछ गिरने की आवाज सुनी।
10. नर्मदा (अ.सा.-5) ने गवाही दी कि मृतका गोंदाबाई अपीलार्थी रोहित की पत्नी थी। गोंदाबाई कुएं में गिर गई थी और मर गई। उसने आगे गवाही दी कि गोंदाबाई लगभग 7:00 बजे शाम को कुएं में गिरी थी। ग्रामीणों ने उसे कुएं से बाहर निकाला। होलीराम (अ.सा.-6) ने भी इसी तरह गवाही दी।
11. अपीलार्थी ने यह अभिकथन किया कि मृतका कुएं में गिर गई थी और मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी। अपीलार्थी द्वारा किया गया अभिकथन स्वीकार्य नहीं है।
12. डॉ. एच.एन. गुप्ता (अ.सा.-3) ने गवाही दी कि उन्होंने मृतका के शव का शव-परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्र.पी-3) दी। उन्होंने पाया (i) दायीं ओर बाहरी थायरॉयड पर खरोंच $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ सेमी, (ii) बायीं जबड़े की हड्डी के नीचे $1 \times \frac{1}{2}$ सेमी का खरोंच, (iii) बायीं मास्टॉयड क्षेत्र पर $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ सेमी का खरोंच, (iv) गर्दन के पीछे की ओर 3 सेमी रैखिक खरोंच, 3 संख्या में खरोंच और (v) छाती के दायीं ओर निप्पल से 3 सेमी नीचे 5×3 सेमी का खरोंच तथा थक्का बना खून मौजूद था। उन्होंने आगे गवाही दी कि मृतका की मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। नर्मदा (अ.सा.-5) ने गवाही दी कि यह सत्य है कि पानी में गिरने पर, शव को पानी से बाहर निकालने के बाद नाक और मुंह से पानी निकलता है और पेट फूल जाता है। उसने आगे गवाही दी कि वह मृतका के शव को कुएं से बाहर निकालने के समय उपस्थित था। उसने आगे गवाही दी कि मृतका के शव को कुएं से बाहर निकालने के बाद, उसे फट्टी पर लिटाया गया था। होलीराम



(अ.सा.-6) ने गवाही दी कि मृतका के शव को कुएं से बाहर निकालने के बाद, मृतका के पेट और छाती को दबाया गया लेकिन उसके मुंह से कोई पानी नहीं निकला। उसने आगे गवाही दी कि यह सत्य है कि कुआँ संकरा था और उसकी चौड़ाई 2-3 फीट थी।

13. कुआँ पानी से भरा हुआ था। यदि मृतका कुएं में गिर गई होती, तो पानी उसके पेट और फेफड़ों में प्रवेश कर जाता और उसकी छाती और पेट को दबाने के बाद अंदर गया पानी उसके मुंह से बाहर आ जाता, लेकिन उसके मुंह से कोई पानी बाहर नहीं आया।

14. डॉ. एच.एन. गुप्ता (अ.सा.-3) ने विशिष्ट रूप से गवाही दी कि थाइरॉयड और जबड़े के क्षेत्र पर खरोंच के निशान मौजूद थे और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। सहायक उपनिरीक्षक जी.आर. वर्मा (अ.सा.-7) ने गवाही दी कि 16-11-2005 को, लगभग 11:30 बजे रात्रि में, अपीलार्थी ने मार्ग सूचना (प्र.पी-8) दर्ज कराई। उन्होंने आगे गवाही दी कि यह सही है कि अपीलार्थी ने पुलिस थाना नवागढ़ में सूचना दी कि उसकी पत्नी (मृतका) पानी निकालने के लिए कुएं पर गई थी, लेकिन वह कुएं में गिर गई और मर गई।

15. भारत (अ.सा.-12) ने गवाही दी कि घटना से 2 दिन पहले, अपीलार्थी उसके घर आया था और उसे बताया था कि मृतका उसकी माँ की देखभाल नहीं करती है, इसलिए, वह उसे मार डालेगा। उसने अपीलार्थी को समझाया। इसके बाद, अपीलार्थी वापस चला गया। अगले दिन, मृतका कुएं में गिर गई और मर गई।

16. **त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एससीसी 681** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

“14. यदि कोई अपराध किसी घर की निजता के भीतर होता है और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ हमलावरों के पास अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे करने का पूरा अवसर होता है, तो अभियोजन के लिए अभियुक्त का दोष स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होगा यदि न्यायालयों द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के उपरोक्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए किसी दांडिक विचारण की अध्यक्षता नहीं करता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। एक न्यायाधीश यह देखने के लिए भी अध्यक्षता करता है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न जाए। ये दोनों सार्वजनिक कर्तव्य हैं। (देखें स्टर्लैंड बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशंस — जिसे अरिजीत पासायत, न्यायाधीश द्वारा पंजाब राज्य बनाम



कर्णेल सिंह में अनुमोदन सहित उद्धृत किया गया है।) विधि अभियोजन पर ऐसे चरित्र का साक्ष्य प्रस्तुत करने का कर्तव्य नहीं लगाती जिसे प्रस्तुत करना लगभग असंभव हो या किसी भी दर पर अत्यंत कठिन हो। अभियोजन पर यह कर्तव्य है कि वह ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसे वह, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत करने में सक्षम है। यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है जो कहती है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान के भीतर होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है.....”

15. जहाँ हत्या जैसा अपराध किसी घर के भीतर गोपनीयता में किया जाता है, मामला स्थापित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पर होगा, लेकिन आरोप स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उसी स्तर की नहीं हो सकती जैसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक होती है। भार तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के परिप्रेक्ष्य में, घर के निवासियों पर यह संगत स्पष्टीकरण देने का संगत भार होगा कि अपराध कैसे किया गया। घर के निवासी केवल चुप रहकर और इस कथित आधार पर कोई स्पष्टीकरण न देकर बच नहीं सकते कि अपना मामला स्थापित करने का भार पूरी तरह अभियोजन पर है और किसी अभियुक्त पर कोई स्पष्टीकरण देने का कोई कर्तव्य बिल्कुल नहीं है।

17. **राजस्थान राज्य बनाम काशीराम, (2006) 12 एससीसी 254** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

“19..... क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत कोई अनुमान निकाला जाना चाहिए, यह एक प्रश्न है जिसे सिद्ध तथ्यों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। यह अंततः साक्ष्य के मूल्यांकन का मामला है और इसलिए, प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए।

“23..... सिद्धांत सुस्थापित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान स्वयं स्पष्ट और निर्णायक हैं कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान के भीतर होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया है, तो उसे यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उसने उसके साथ कैसे और कब साथ छोड़ा था। उसे ऐसा



स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा जो न्यायालय को संभाव्य और संतोषजनक प्रतीत हो। यदि वह ऐसा करता है, तो उसे अपना भार निर्वहन करने वाला माना जाना चाहिए। यदि वह अपने विशिष्ट ज्ञान के भीतर के तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उस पर अभिरोपित भार का निर्वहन करने में विफल रहता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, यदि अभियुक्त उस पर अभिरोपित भार के निर्वहन में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो यह स्वयं उसके विरुद्ध सिद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। धारा 106 दांडिक विचारण में साबित करने का भार नहीं बदलती है, जो हमेशा अभियोजन पर होता है। यह नियम निर्धारित करती है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसके ज्ञान के भीतर हैं और जो उसकी निर्दोषता के अनुकूल किसी भी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो न्यायालय उसके कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफलता को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में मान सकता है जो श्रृंखला को पूरा करती है।

इन सिद्धांतों को राजस्थान राज्य बनाम पार्थु, एआईआर 2008 एससी 10 के मामले में भी पुनः दोहराया गया है।

18. अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करने वाली अभियोगात्मक परिस्थितियाँ अपीलार्थी के समक्ष धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रखी गईं। अपीलार्थी ने पूर्णतः इनकार का बचाव लिया। जब अपीलार्थी से धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रश्न पूछे गए, तो उसने केवल "ज्ञात नहीं" का उत्तर दिया, और जब अपीलार्थी से उसके बचाव के संबंध में पूछा गया, तो उसने केवल उत्तर दिया कि वह निर्दोष है और उसे झूठे फंसाया गया है।

19. वर्तमान मामले में, डॉ. एच.एन. गुप्ता (अ.सा.-3) और डॉ. संजय कुमार (अ.सा.-11), जिन्होंने मृतका का शव-परीक्षण किया, ने गवाही दी कि मृतका की मृत्यु का कारण गला घोटने से श्वासावरोध था और उसकी मृत्यु की प्रकृति मानववध थी, लेकिन अपीलार्थी ने यह बचाव लिया कि मृतका कुएं में गिर गई थी। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, मृतका की मृत्यु गला घोटने के कारण हुई थी, लेकिन अपीलार्थी ने यह बचाव लिया कि मृतका की मृत्यु कुएं में गिरने के कारण दुर्घटनावश हुई थी। गवाहों ने मृतका को कुएं से बाहर निकाला। उसकी छाती और पेट को दबाने के बाद, मृतका के मुंह से कोई पानी बाहर नहीं आया। कुआं पानी से भरा हुआ था। यदि मृतका कुएं में गिर गई होती, तो पानी उसके पेट और



फेफड़ों में प्रवेश कर जाता और उसकी छाती और पेट को दबाने के बाद अंदर गया पानी उसके मुंह से बाहर आ जाता, लेकिन उसके मुंह से कोई पानी बाहर नहीं आया। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव स्वीकार्य नहीं है।

20. अपीलार्थी अपने बचाव को सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। उसके बचाव को चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा झूठा सिद्ध कर दिया गया है। अपीलार्थी साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उस पर अभिरोपित भार के निर्वहन में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। उसने उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला जो उसके ज्ञान में थे। उसने इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला कि मृतका को चोटें कैसे लगीं और किन परिस्थितियों में घटना हुई, जिसमें मृतका की हत्या हुई। इसके विपरीत, उसने मृतका की दुर्घटनावश मृत्यु का झूठा बचाव लिया।

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिलती कि यह अपीलार्थी ही था जिसने मृतका का गला घोंटा और मृतका के शव को कुएं में फेंक दिया और मृतका की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा किए गए गला घोंटने के कारण हुई।

22. उपर्युक्त कारणों से अपील सारहीन हाकने से खारिज किए जाने योग्य है और एतद्वारा खारिज की जाती है।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।